न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–75/2026
शैलेन्द्र कुशवाह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 599/2025, धारा 108,115(2),238 भारतीय न्याय संहिता, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुशवाह** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी/मृतका करिश्मा को दहेज के लिए तंग व परेशान करना, मारपीट करना, जिससे तंग आकर करिश्मा द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना, जिसकी कोई सूचना आवेदक/अभियुक्त द्वारा न दिया जाना व अपराध का साक्ष्य विलोपित करने का प्रयास करना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता/लीगल एड डिफेंस कांउसिल, वादी के विद्वान निजी अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए विद्वान लीगल एड डिफेन्स काउंसिल द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। आवेदक/अभियुक्त मृतका करिश्मा का पति है, जिससे उसने वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था व गोवर्धन में अपना दैनिका रोजगार कर अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से लाड़–प्यार से रख रहा था। मृतका करिश्मा के माता–पिता व परिवारीजन आवेदक/अभियुक्त व मृतक करिश्मा के प्रेम विवाह से खुश नहीं थे, आये दिन अभियुक्त को फोन पर गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे, करिश्मा को तंग व परेशान करते थे जिससे मृतका काफी मानसिक रूप से कमजोर होकर परेशान रह रही थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका के पिता द्वारा काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त को मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में झूंठा एवं गलत संलिप्त किया गया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी करिश्मा ने अपने माता पिता के आये दिन के तानेबाजी से तंग व परेशान होकर स्वयं आत्महत्या की है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, वह दिनांक 22.11.2025 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादीपक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका को तंग व परेशान कर, उसके साथ मारपीट कर आत्महत्या किये जाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिससे दुष्प्रेरित होकर मृतका करिश्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक/अभियुक्त ने अपराध को छिपाने के लिए मृतका के पिता/वादी मुकदमा को कोई सूचना नहीं दी। वादी को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

वादी मुकदमा ने प्रतिशपथपत्र दाखिल कर मुख्यतः कहा है कि अभियुक्त के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की वजह से ही करिश्मा द्वारा आत्महत्या की गयी है। अभियुक्त का करिश्मा की मृत्यु के बाद घर से फरार हो जाना व मृत्यु की सूचना वादी मुकदमा को न देना अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को स्पष्ट करता है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:30:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त व मृतका करिश्मा द्वारा अपने परिवारीजन की मर्जी के विरूद्ध प्रेम विवाह किया गया था। उभयपक्ष को यह तथ्य भी स्वीकार है कि करिश्मा द्वारा आत्महत्या की गयी। मामले में विवेचना होकर आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। मृतका द्वारा किन परिस्थितियों व कारणवश आत्महत्या की गयी, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/ अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुशवाह** द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–18.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.